रामचरण आदि विरुद्ध शिवनारायण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक — निग [illegible]—तीन/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण का अवलोकन किया एव आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 20—5—14 के विरूद्ध पेश किया गया है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत यह पाया है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को इस आधार पर खारिज किया गया है कि कमल श्री आवेदित भूमि की राजस्व रिकार्ड में सह भूमिस्वामी नहीं है अतः उसे पक्षकार बनाए जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हो । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

[illegible]

[illegible]

निवासी [illegible]

[illegible]

निवासी [illegible]

दोनों [illegible]

आपत्ति [illegible]

विरुद्ध

1-शिवनारायण पुत्र [illegible] [illegible] साल

निवासी [illegible] इंडस्ट्रीज [illegible]

[illegible] के पीछे भोपाल म.प्र.

2-रमेशचन्द्र परिहार पुत्र [illegible] करीब 60 साल

निवासी [illegible] पीछे [illegible] आई.जी.

बंगला [illegible] भोपाल म.प्र. [illegible]